सराहनीय कार्य

इटावा पुलिस

#CRACKDOWN

प्रेस नोट- दिनांक 07.06.20205

मात्र 06 घण्टे के अन्दर दुष्कर्म की घटना कारित करने वाले 01 मुख्य आरोपी को पुलिस मुठभेड़ में एवं 02 अन्य आरोपी सहित कुल 03 अभियुक्तों को इटावा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार , कब्जे से 01 तमन्चा 315 बोर, 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस किया गया बरामद ।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन मे इटावा पुलिस एसओजी/सर्विलान्स टीम एवं **थाना बढ़पुरा पुलिस** द्वारा **संयुक्त रूप से** की गयी कार्यवाही ।

घटना/गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरणः-

थाना सिविल लाइन क्षेत्रान्तर्गत निवासिनी वादिनी द्वारा थाना बढ़पुरा पर लिखित तहरीरी सूचना दी गयी कि उसकी पुत्री के साथ 01 नामजद व्यक्ति द्वारा दुष्कर्म किया गया एवं उसके 02 साथियों द्वारा उसका सहयोग किया गया । सूचना पर तत्काल थाना बढ़पुरा पर **मु0अ0सं0 34/2025 धारा 61(2)/70(2)/351(3) बीएनएस व 3/4 पॉक्सो एक्ट** पंजीकृत किया गया ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन मे गठित पुलिस टीमों द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुये कुल 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया एवं नामजद अभियुक्तों की निशांदेही/पूछताछ से घटना मे 01 अवैध तमंचा के प्रयोग की बात संज्ञान मे आयी जिसपर अभियुक्त विपिन पुत्र जगदीश उपरोक्त को घटना स्थल पर ले जाया गया जहां उसके द्वारा भागने का प्रयास करते हुये पेड़ के नीचे छिपा रखे तमन्चा को निकालकर पुलिस टीम पर फायर किया गया जिस पर पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गयी तो **01 गोली अभियुक्त विपिन पुत्र जगदीश के दाहिने पैर में लगी** । जिसे घायल अवस्था में गिरफ्तार कर उपचार हेतु सीएचसी जसवन्तनगर/जिला अस्पताल मे भर्ती कराया गया ।

पुलिस पूछताछः-

पकड़े गये अभियुक्त से नाम पता पूछते हुये उसकी तलाशी ली गयी तो कब्जे से 01 तमन्चा 315 बोर, 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया ।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बढ़पुरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 34/2025 धारा 61(2)/70(2)/351(3) बीएनएस व धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट में धारा 109 (पु0मु0) बीएनएस व धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी ।

गिरफ्तार अभियुक्तः-

1. विपिन पुत्र जगदीश वाल्मीकि निवासी विक्रमपुर थाना सिविल लाइन जनपद इटावा ।
2. अंशुल उर्फ छोटू पुत्र रामवीर निवासी सराय एसर थाना सिविल लाइन जनपद इटावा
3. रोहित पुत्र नीतू निवासी कामेत थाना बढ़पुरा जनपद इटावा ।

पंजीकृत अभियोगः-

1. मु0अ0सं0 34/25 धारा 61(2)/70(2)/351(3)/109(पु0मु0) बीएनएस व 3/4 पॉक्सो एक्ट व धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना बढ़पुरा जनपद इटावा ।

बरामदगीः-

1. 01 तमन्चा 315 बोर
2. 01 खोखा कारतूस 315 बोर
3. 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

पुलिस टीमः- प्रथम टीम- उ0नि0 श्री बेचन कुमार सिंह प्रभारी एसओजी, उ0नि0 श्री नागेन्द्र सिंह प्रभारी सर्विलान्स मय टीम मय टीम ।

द्वितीय टीमः- निरी0 श्री गणेश शंकर द्विवेदी मय टीम ।